राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2715532,45
E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रास्कूशिप/गुणवत्ता शिक्षा/विद्यालय अवलोकन/2018/[illegible] दिनांक : 18-1-19

संयुक्त निदेशक,
समस्त संभाग।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त ब्लॉक।

पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (CRC),
समस्त पंचायत।

विषय – विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के नवीनतम मानदण्ड निर्धारण हेतु।
संदर्भ– परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप/जय/गुणवत्ता/2018–19/3861 दिनांक 23.07.2018

उपर्युक्त संदर्भित पत्रानुसार सत्र 2018–19 में राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है। राज्य स्तर पर शैक्षिक ढाँचे में पुर्नगठन के पश्चात् राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग के नवीनतम शैक्षिक ढाँचे के अनुसार आदर्श/उत्कृष्ट/अन्य विद्यालय अवलोकन हेतु संभाग/जिला/ब्लॉक स्तर, पीईईओ एवं अन्य अधिकारियों के लिए प्रतिमाह के निम्नांकित मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :–

विद्यालय अवलोकन हेतु संभाग/जिला/ब्लॉक/CRC(PEEO कार्यालय) के लिए प्रतिमाह के मानदण्ड –

स्तर	अधिकारी	प्रत्येक माह (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रेल) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	सत्र में कुल अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या	विशेष विवरण
संभाग	संयुक्त निदेशक (JD), स्कूल शिक्षा	4	3	2	29	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (अकादमिक)	2	2	2	20	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालयं.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक (DPC)	5	4	3	39	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक निदेशक	4	3	3	33	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं. एवं माध्य.)	5	4	3	39	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)	4	2	2	26	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	5	4	3	39	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	सहायक परियोजना समन्वयक (समस्त)	5	3	3	36	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	कार्यक्रम अधिकारी (समस्त)	3	2	2	23	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
डाईट कार्यालय	प्रधानाचार्य	2	2	2	20	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं 1 अन्य विद्यालय
	उप प्रधानाचार्य एवं समस्त फैकल्टी (व्याख्याता, वरिष्ठ व्याख्याता)	2	2	2	20	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं 1 अन्य विद्यालय

www.rajteachers.com

स्तर	अधिकारी	प्रत्येक माह (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	प्रत्येक माह (जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रेल) में अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों की संख्या	सत्र में कुल अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या	विशेष विवरण
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF, समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन BRCF	5	5	4	46	अनिवार्यतः 2 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–प्रथम	5	4	3	39	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी–द्वितीय	5	4	3	39	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
	संदर्भ व्यक्ति (समस्त)	5	4	3	39	अनिवार्यतः 1 माध्यमिक एवं शेष अन्य विद्यालय
पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कार्यालय	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO)	• उत्कृष्ट विद्यालय का माह में एक बार अवलोकन • पंचायत क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों का दो माह में एक बार (वर्ष में न्यूनतम तीन बार) अवलोकन				

महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश –

विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के अंतर्गत अवलोकन एवं प्रपत्रों को अपलोड करने से सम्बंधित :–

1. प्रत्येक अवलोकनकर्ता अधिकारी के सम्मुख अंकित विद्यालय अवलोकन मापदण्डों को कुल 3 भागों में कार्य की अधिकता एवं समयानुसार विभाजित किया गया है। माह जुलाई–सितम्बर, अक्टूबर–दिसम्बर एवं जनवरी–अप्रेल में कुल विद्यालय अवलोकन मापदण्ड प्रत्येक माह हेतु निर्धारित किये गये है।
2. नियमित विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक अवलोकनकर्ता अधिकारी विद्यालयों का अवलोकन आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों को समाहित करते हुए करेंगे अर्थात् यह दिशा निर्देश आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों को अन्य राजकीय विद्यालयों के साथ समाहित करते हुए जारी किये जा रहे है।
3. प्रत्येक अवलोकनकर्ता अधिकारी विद्यालय अवलोकन करने से पूर्व संबंधित विद्यालय का भरा हुआ अवलोकन प्रपत्र स्वयं या स्वयं के कार्यालय के लॉगिन से प्रिन्ट निकालकर हॉर्ड कॉपी में लेकर जावेंगे तत्पश्चात उक्त भरे हुए प्रपत्र के अनुसार विद्यालय अवलोकन सुनिश्चित करेंगे।
4. संभाग, जिला, ब्लॉक कार्यालय के समस्त अधिकारी अपने–अपने कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ अवलोकनकर्ता अधिकारियों द्वारा मापदण्डानुसार अवलोकित किये गये विद्यालयों की मासिक समीक्षा की जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त अवलोकनकर्ता अधिकारी निर्धारित मानदण्डानुसार प्रा./उ.प्रा./मा./उ.मा. विद्यालय का अवलोकन कर संबंधित अवलोकन प्रपत्र में सूचना भरकर शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। अवलोकन प्रपत्र की ऑनलाइन फीडिंग करा देने के पश्चात ही विद्यालय अवलोकन माना जावेगा।
6. प्रत्येक अवलोकनकर्ता अधिकारी अपने जिले/ब्लॉक के भिन्न–भिन्न विद्यालयों का विद्यालय अवलोकन करे। किसी अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकित विद्यालय को पुनः उसी माह में किसी अन्य अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकित ना किया जावे।
7. अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा अवलोकित विद्यालय को सत्र में 3/4 माह उपरान्त पुनः अवलोकित कर कार्य एवं आदेशों की अपुपालना की स्थिति की जांच की जावे।
8. प्रत्येक अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा विद्यालय अवलोकन हेतु अनावलोकित (शून्य बार) विद्यालयों को प्राथमिकता के साथ अवलोकित किया जावे।
9. प्रत्येक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आपके जिले एवं ब्लॉक के समस्त राजकीय विद्यालयों का वर्ष में 3 बार अवलोकन किया जावे।
10. संबंधित अवलोकनकर्ता अधिकारी स्वयं या स्वयं के कार्यालय के लॉगिन से शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय अवलोकन प्रपत्र अपलोड करेंगे।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवलोकित किये जाने वाले विद्यालयों की ऑनलाइन फीडिंग संबंधित पीईईओ (CRCF) के लॉगिन से की जावेगी।

H:\Quality Hindi Letter docx91
www.rajteachers.com

विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त अधिकारियों के पंजीकरण सम्बंधित :–

1. राज्य स्तर पर शैक्षिक ढॉचे में पुनर्गठन के पश्चात् राज्य में शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग के विभिन्न अधिकारियों के पंजीकरण का ऑनलाइन मॉड्यूल अद्यतन पश्चात् शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारम्भ कर दिया गया है।
2. जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा संभाग एवं जिले के समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों (जिला कलेक्टर, सीईईओ एवं एडीएम) का पंजीकरण जिला एमआईएस इन्चार्ज/जिले पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के सहयोग से करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. ब्लॉक के सीबीईओ लॉगिन से ब्लॉक के समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों (एसडीएम, तहसीलदार, सीडीपीओ एवं बीडीओ) का पंजीकरण ब्लॉक ऑपरेटर द्वारा किया जायेगा।
4. अवलोकनकर्ता अधिकारियों के पंजीकरण के दौरान संबंधित अधिकारी का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, मोबाईल नम्बर की पूर्ति की जानी है।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व में पंजीकृत किये गये अधिकारियों के पदस्थापन में परिवर्तन होने पर नवीन कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों की सूचनाओं को आवश्यक रूप से अपडेट करने का कार्य सम्पादित किया जायेगा। इस कार्य के लिए जिला एमआईएस इन्चार्ज/ब्लॉक पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर का तकनीकी सहयोग लिया जावे परन्तु कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी पूर्णतः क्रमशः मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की होगी।

(भास्कर ए. सावन्त)
प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

क्रमांक : रास्कूशिप/गुणवत्ता शिक्षा/विद्यालय अवलोकन/2018/10846 दिनांक : 18-1-19

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, RSCERT, उदयपुर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. समस्त जिला प्रभारी, राज्य कार्यालय, समग्र शिक्षा अभियान।
8. डाईट, प्रधानाचार्य, समस्त जिले।
9. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एनआईसी को लेख है कि उक्त नवीन पदो के अनुसार विद्यालय अवलोकन पंजीकरण एवं विद्यालय अवलोकन मॉड्यूल में आवश्यक परिवर्तन किया जाना सुनिश्चित करें।
10. कार्यालय प्रति।

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राज.स्कूल शिक्षा परिषद
सह विशिष्ट शासन सचिव

www.rajteachers.com